न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 15/2016

पप्पू सिंह उर्फ मोती सिंह पुत्र जसरथ सिंह उर्फ दशरथ सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–डाबिच, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

1. चतर सिंह धाकड पुत्र हरिराम धाकड, जाति–धाकड, निवासी–प्लॉट नं.–12, जगन्नाथपुरी–प्रथम, गोपालपुरा बाईपास, वार्ड नंवर–14, जयपुर।
2. श्याम सिंह पुत्र जसरथ सिंह उर्फ दशरथ सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम डाबिच, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. धापू कंवर पुत्री जसरथ सिंह उर्फ दशरथ सिंह पत्नी जीवराज सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–कालानाडा, तहसील–अराई, जिला–अजमेर।
4. रसाल कंवर पत्नी जसरथ सिंह, जाति–राजपूत, निवासनी–डाबिच, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
5. फूल कंवर पुत्री जसरथ सिंह पत्नी कान सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ततारपुरा, तहसील–परबतसर, जिला–नागौर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा दिनांक 23.06.2016 उप–तहसीलदार, माधोराजपुरा, जिला–जयपुर नामान्तरकरण संख्या 1328 ग्राम–डाबिच)

उपस्थितः–
1. श्री हेमन्त दीक्षित, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री एस. जे. गिरि, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 लगायत 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 28.08.2019

आराजी खसरा नं0 कुल किता 6 रकबा 5 बीघा हिस्सा 2/7 खसरा नं0 1010 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा हिस्सा 1/7 एवं खसरा नं0 1007 रकबा 2 बिस्वा हिस्सा 4/21 के खातेदार श्यामसिंह पुत्र जसरतसिंह रसालकंवर पत्नि जसरतसिंह फूलाकंवर धापूकंवर पुत्रियां जसरतसिंह हिस्सा 2/7 जाति–राजपूत साकिन देह शेष बदस्तूर जमाबंदी का विक्रय पत्र के आधार पर क्रमशः चतरसिंह हिस्सा 2/7, हिस्सा 1/7 व हिस्सा 4/11 शेष बदस्तूर जमाबंदी नामान्तरकरण संख्या 1328 स्वीकार किया गया है, जिससे व्यथीत होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

Scanned by CamScanner

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री हेमन्त दीक्षित का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित की गई है अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट् को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस/अवसर नहीं दिया गया सारी कार्यवाही बाला–बाला की गई है जबकि वादग्रस्त आराजी के संबंध में रेसपोडेन्ट् संख्या 2 लगायत 4 व अपीलान्ट् के मध्य सक्षम न्यायालय में नियमित वाद लंबित था और उस वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा के दौरान विक्रय पत्र निष्पादित किये गये के आधार पर चुनौती अधीन नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो पूर्णतया अवैध होने से निरस्तनीय है। वाद के विचाराधीन व स्टे रहते हुए किये गये विक्रय पत्र का कानूनी रूप से कोई महत्व नहीं है। अपीलान्ट के पक्ष में उप खण्ड अधिकारी न्यायालय का दिनांक 28.07.2004 से नियमित वाद में स्थगन आज्ञा नामान्तरकरण संख्या 1270 बाबत रहन,बैय,मुन्तकिल व विक्रय हस्तान्तरकरण नहीं करने हेतु जारी था इस स्थगन आज्ञा के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील कर आगामी दिनांक तक क्रियान्विति स्थगित की आज्ञा प्राप्त कर वादग्रस्त आराजी का अवैध रूप से बैचान किया है जिसका उन्हे कतई कोई अधिकार नहीं था। इसके बावजूद भी विक्रय पत्र दिनांक 11.05.2016 के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार करने में कानूनन गंभीर भूल की है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 से 135 व लेण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 121(4) की भी कोई पालना नहीं की है। वाद के विचाराधीन रहते हुए नामान्तरकरण की समेरी प्रोसिडिंग से अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 23.06.2016 नामान्तरकरण संख्या 1328 ग्राम–डाबिच निरस्त फरमाया जावे। नामान्तरकरण की समेरी प्रोसिडिंग को वाद के लम्बित रहते हुए स्थगित रखी जाने की आज्ञा फरमायी जावे।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के विद्वान् अभिभाषक श्री शिवजन्म गिरी का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी को क्रय करने एवं नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने की अवधि के दौरान किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं था। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने उचित प्रतिफल देकर वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। क्रेता ने वादग्रस्त आराजी के खातेदार–काश्तकारान से क्रय किया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने के लिये नामान्तरकरण स्वीकार कर्ता बाध्य है जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सद्भाविक एवं वैद्य दस्तावेज है। इस विक्रय पत्र पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है और न ही इस विक्रय पत्र को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट् खारिज फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 23.06.2016 नामान्तरकरण संख्या 1328 यथावत् रखी जाने के आदेश फरमाये जावें।

Scanned by CamScanner

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 1328 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.05.2016 के आधार पर भरा जाकर स्वीकार किया गया है। उप–तहसीलदार, माधोराजपुरा ने अपनी आज्ञा दिनांक 23.06.2016 में स्पष्ट अंकित किया है कि आज दिनांक स्थगन प्रभावित नहीं होने के कारण नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाता है। इसके विपरीत अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक अपने कथन को दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जिनसे यह सिद्ध होता हो कि वादग्रस्त आराजी के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के निस्पादन की दिनांक को किसी सक्षम न्यायालय का बैचान पर स्थगन हो अथवा नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने पर किसी प्रकार की स्थगन आज्ञा हो। यहां तक कि अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक ने वादग्रस्त आराजी के संबंध में सक्षम न्यायालय में नियमित वाद लम्बित होने का कथन किया है किन्तु किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट् सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner